सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – /2018

पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. गोपाल पुत्र गोकल जाति बैरवा
2. रामकुवार पुत्र नारायण जाति बैरवा

समस्त निवासीगण ग्राम सलारी तहसील केकडी जिला अजमेर राजस्थान

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर
2. जयकिशन पुत्र रामपाल जाति गूर्जर
3. महावीर पुत्र देबीलाल जाति बैरवा

समस्त निवासीगण ग्राम सलारी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः– 30.05.2018

पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प सलारी में पेश हुई। वादी/प्रतिवादी उपस्थित। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है–

वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी की वाद ग्रस्त भूमि वाके ग्राम सलारी तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता नम्बर 411 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1739, 1740, 1741 रकबा क्रमशः 0.13 है., 1.23 है, 1.34 है. भूमि की सीमायें स्पष्ट नही होने से पडोसी खातेदारों के बीच गलतफहमी एवं विवाद की स्थिति बनी रहती है। वादग्रस्त आराजी में सह खातेदार रामलाल पुत्र जगदीश बैरवा निवासी सलारी नाऔलाद फौत हो गया है जिसके विधिक वारिसान भी वादीगण ही है। प्रतिवादी संख्या 1 लेण्डलोर्ड होने के कारण पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 पडोसी खातेदार होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है। अतः वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर स्थायी सीमा चिन्ह कायम करवाया जावे।

हमने वादीगण का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। पेरोकार सरकार की ओर से जवाब पेश हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत जवाब अनुसार प्रार्थनापत्र वर्णित भूमि वाके ग्राम सलारी के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण रामलाल पि. जगदीश, गोपाल पि. गोकल, रामकुवार पुत्र नारायण कौम बैरवा निवासी सलारी खातेदार के नाम दर्ज है। अतः वादीगण की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति नही है।

प्रस्तुत जवाब अनुसार वादवर्णित आराजीयात वादीगण के नाम दर्ज होने एवं वादीया की स्वयं की खातेदारी की आराजीयात होने से पत्थरगढी किया जाना उचित है। अतः वादग्रस्त आराजी वादीगण की खातेदारी में दर्ज होने से वाद पत्र का संतुलन वादीगण के पक्ष में होने से वादीगण का दावा प्रेमापेशाई केस होना पाया जाता है।

अतः वादीया का दावा वाके ग्राम सलारी तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता नम्बर 411 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 1739, 1740, 1741 रकबा क्रमशः 0.13 है., 1.23 है, 1.34 है का पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार केकड़ी को निर्देशित किया जाता है कि वे वादग्रस्त आराजी की नियमानुसार शुल्क जमा कर पत्थरगढी कराकर मौका रिपोर्ट न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनाक 30.05.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व निर्णय केम्प कोर्ट भराई में मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी